25

अधिकारों का प्रतिनिधायन

विषय सूची

क्र0 सं0	विषय	शासनादेश सं0 तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन	सं0–821 / वि0अनु0–3 / 2003, देहरादून, दिनांक–21 फरवरी, 2003	39–40
2	विभागाध्यक्षों के कार्यालय में वातानुकूलित संयत्र की अनुमन्यता	सं0 1295 / XXVII(3) / 2004, देहरादून, दिनांक–03 जुलाई, 2004	41–42
3	छोटे कार्यों (पेटी वर्क्स) तथा लघु कार्यों (माइनर वर्क्स) की आर्थिक सीमा में वृद्धि	सं0 88 / XXVII(3) कार्य / 2005, देहरादून, दिनांक–24 फरवरी, 2005	43–44
4	अधिकारों का प्रतिनिधायन–अस्थाई पदों का स्थायीकरण	सं0 118 / XXVII(7) / 2006, देहरादून, दिनांक–31 अगस्त, 2006	45–48
5	विभागाध्यक्षों की सूची	सं0 166 / XXVII(7) / 2008, देहरादून, दिनांक–29 अप्रैल, 2008	49–54

संख्या– 821/वि0अनु03/2003

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डें,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराँचल शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराँचल देहरादून।

वित्त अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 21 फरवरी, 2003

विषय– वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– ए–2–1602/दस– 95–24 (14)–95 दिनांकः 1 जून, 1995 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के अनुलग्नक के विवरण पत्र xvii (17) में निर्माण कार्य के कम सं0– 04 (क) के अन्तर्गत निर्माण कार्यों कार्यों के व्योरेवार अनुमान/अनुपूरक अनुमानों/पुनरीक्षित अनुमानों की रू0 2.00 लाख तक की सीमा तक की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के अधिकार लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता को प्रतिनिहित किए जाने की इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि सहायक अभियन्ता द्वारा दी गई प्राविधिक स्वीकृति के 20% भाग की रैण्डम चैकिंग सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जायेगी। उक्त प्रातिनिधायन एक अस्थाई व्यवस्था के रूप में होगी और यह संवर्गीय ढाँचे में आवश्यक पदों की व्यवस्था हो जाने तक ही रहेगी। उक्त प्रतिनिधायन विशेष परिस्थितियों में किया जा रहा है और इसे अन्य किसी मामलें के लिये दृष्ठांत नहीं माना जायेगा।

वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–1, द्वितीय संस्करण का सम्बन्धित विवरण–पत्र तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(इन्दुकुमार पाण्डें,)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्याः 1295 / XXVii(3) / 2004

प्रेषक,

एल0एम0पन्त,
अपर सचिव,वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराचंल।

वित्त अनुभाग–3 देहरादून:दिनांकः 03 जुलाई,2004

विषयः–विभागाध्यक्षों के कार्यालय में वातानुकूलित संयत्र की अनुमन्यता।

महोदय,

विभागाध्यक्षों द्वारा वातानुकूलित संयत्र की सुविधा की मांग शासन से की जा रही है। अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय रू0 18400–22400 के अतिकाल वेतनमान अथवा इसके उच्च वेतनमान में कार्यरत विभागाध्यक्षों के कार्यालय में वातानुकूलित संयत्र निम्न शर्तों के अधीन अनुमन्य किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) वातानुकूलित संयत्र की अनुमन्यता की सुविधा केवल अतिकाल वेतनमान अथवा इससे उच्च वेतनमान वाले विभागाध्यक्षों को ही होगी। यदि विभागाध्यक्ष का पद उक्त वेतनमान में है लेकिन उक्त पद पर इस वेतनमान वाला पदधारक कार्यरत नहीं है उस स्थिति में उपरोक्त पदधारक को उक्त सुविधा अनुमन्य नहीं होगी,
(2) उक्त स्तर के विभागाध्यक्ष को केवल एक ए0सी0 की ही अनुमन्यता होगी,
(3) उक्त ए0सी0 का क्रय नियमानुसार टेण्डर/ कोटेशन विषयक नियमों एवं अन्य तदविषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा,

2. समस्त विभागाध्यक्षों द्वारा उक्त शासनादेश की व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

ह0–

(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव,वित्त

-2-

संख्या– 1295 XXVII(3)/2004/ तददिनांक

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा, देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तरांचल।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. निदेशक,एन0आई0सी0 उत्तरांचल देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

/

(एल0एम0पन्त)

अपर सचिव,वित्त।

संख्या 88 XXvii(3)कार्य/2005

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

वित्त अनु–3 देहरादून:दिनांक 24 फरवरी,2005

विषयः–छोटे कार्यों (पेटी वर्क्स) तथा लघु कार्यों (माइनर वर्क्स) की आर्थिक सीमा में वृद्धि

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (लेखा) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या ए–2–687/दस–24(18)/85 दिनांक 19 अक्टूबर,1985 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इमारती सामान,मजदूरी आदि के मूल्यों में वृद्धि के कारण छोटे कार्यो(पेटी वर्क्स)तथा लघु कार्यो(माइनर वर्क्स) की वर्तमान अधिकतम सीमा जो वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 के प्रस्तर 262 तथा वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–6 के प्रस्तर–314 के अन्तर्गत क्रमशः रू0 1,00,000/– तथा रू0 2,00,000/– है, को बढ़ा कर क्रमशः रू02,00,000/–(रू0 दो लाख मात्र) तथा रू0 5,00,000/–(रू0 पांच लाख मात्र)तक करने और रू0 5,00,000/– से ऊपर के कार्य बड़े कार्य(मेजर वर्क्स) के वर्ग में करने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं । तद्नुसार तात्कालिक प्रभाव से उपरोक्त नियमों में उल्लिखित मूल कार्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित वित्तीय सीमाओं के अनुसार होगा :–

(1) छोटे कार्य(पेटी वर्क्स)	जिनकी लागत रू0 2,00,000/–से अधिक न हो ।
(2) लघु कार्य (माइनर वर्क्स)	जिनकी लागत रू0 2,00,000 से अधिक लेकिन रू0 5,00,000/– से अधिक न हो ।
(3) बड़े कार्य (मेजर वर्क्स)	जिनकी लागत रू0 5,00,000/–से अधिक हो ।

2.मुझे यह भी कहना है कि रू0 2,00,000/–से ऊपर तथा रू0 5,00,000/– तक की लागत के छोटे कार्यो (पेटी वर्क्स) का निष्पादन लोक निर्माण विभाग अथवा अन्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जायेगा ।

3.बृहद निर्माण कार्य/ बडे कार्य के ही लो0नि0वि0 की दरों पर आगणन गठित कर शासन/वि0वि0 की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायेंगे तथा छोटे व लघु कार्य निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से निर्माण के नियमों/दरों का अनुपालन करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से कराये जायेंगे ।

4.वित्तीय नियम संग्रह,खण्ड–5 भाग–1 तथा खण्ड–6 के संगत नियमों में आवश्यक संशोधन तथा समय किए जायेंगे ।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)

संख्या 88 XXVii(3)कार्य / 2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) महालेखाकार, उत्तरांचल,ओबेराय भवन देहरादून ।

(2) वित्त विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग ।

(3) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग ।

(4) निदेशक,एन0आई0सी0,देहरादून ।

(5) गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग – 7
संख्या /XXVII(7)/2006
देहरादून, दिनांक : 31 अगस्त, 2006

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– अधिकारों का प्रतिनिधायन – अस्थाई पदों का स्थायीकरण।

वर्तमान प्रकियानुसार अस्थाई पदो के स्थाईकरण के आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्ताव के गुणावगुण के आधार पर परीक्षणोपरान्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जाते हैं। अधोहस्ताक्षरी को अब यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्य में दक्षता लाने तथा अधिकाधिक पदों को स्थाई किये जाने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई संवर्गीय पदों को स्थाई करने के अधिकार प्रशासनिक विभागों को तत्कालिक प्रभाव से प्रतिनिहित कर दिये जाएं:–

(1) प्रश्नगत पद किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिये या किसी नियत अवधि के लिये सृजित न किये हों। उदाहरणस्वरूप उनका सृजन केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत न किया गया हो।

(2) जिस कार्य या कार्यालय के लिये प्रश्नगत पद सृजित किया गया हो वह स्थाई प्रकार का हो तथा उसके सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग सन्तुष्ट हों कि वह भविष्य में निरन्तर चलता रहेगा।

(3) स्थाईकरण के दिनांक से कम से कम 3 वर्ष पूर्व वित्त विभाग की सहमति से पद का सृजन किया गया हो और नवीन वर्ष उसकी निरन्तरता की शासकीय स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा दी जाती रही हो।

(4) प्रश्नगत पद 6 माह अथवा उससे अधिक अवधि से रिक्त न हो।

(5) पद के पदनाम एवं उसके वेतनमान के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया गया हो कि उसका पदनाम और वेतनमान सही हो तथा यह वित्त विभाग की सहमति से निर्धारित किये गये हों।

(6) स्थाई किये जाने वाले पद को भविष्य में फालतू होने की कोई संभावना न हो तथा प्रशासकीय विभाग पूर्ण रूप से संतुष्ट हों कि प्रश्नगत पद का स्थाईकरण कार्यभार तथा निर्धारित मापदण्ड (यदि कोई हो) के आधार पर पूर्ण रूप से औचित्यपूर्ण है।

(7) स्थाई किया जाने वाला पद किसी स्थाई पद को अस्थगित करके सृजित नै किया गया हो।

(8) प्रशासकीय विभाग द्वारा पद सृजन के शासनादेश तथा उसकी निरन्तरता के आदेश देखकर यह संतुष्ट कर लिया गया हो कि मामले में कोई विसंगति नहीं है।

(9) यदि आलोच्य अवधि में पद पर तदर्थ, स्थानापन्न नियुक्ति या उस पद को अस्थगित करके अन्य पद सृजित किया गया हो, तब उस पद को स्थायी नहीं किया जायेगा।

2. प्रशासकीय विभाग कृपया अनिवार्य रूप से यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित अधिकारी विभागीय सचिव के अनुमोदन के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले इस आशय का प्रमाण–पत्र दें कि आदेशार्थ प्रस्तुत स्थाईकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में उपर्युक्त सभी नौ शर्तें पूरी हो जाती है।

3. सुविधा के लिये पदों के स्थाईकरण के आदेश निर्गत किये जाने वाले आदेश का प्रारूप संलग्न है।

4. पदो के स्थाईकरण के अन्य प्रस्ताव, जिनमें उपरोक्त शर्तें न पूरी होती हों, वित्त विभाग को पूर्ववत् सहमति के लिए संदर्भित किये जायेंगे।

संलग्नक : यथोपरि।

हरीश चन्द्र जोशी
सचिव

<u>संख्या 110 (1)/XXVII(7)/2006 एवं तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
3. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव

संलग्नक

शासनादेश संख्या.. दिनांक ....द्वारा ....(विभाग, प्रभार, कार्यालय आदि का नाम) में दिनांक ....
.... से स्थायी किये गये पदों का विवरण : ....

क्रम संख्या	पदनाम	स्थायी किये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें पद मूल रूप से सृजित हुआ था	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें अन्तिम बार पद के स्थायीकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक उसका सातत्य स्वीकृत किया गया था	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

(नाम)

.... सचिव

.... विभाग

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग
संख्या: 166/xxvii(7)/2008
देहरादून:दिनांक २१ अप्रैल,2008

कार्यालय–ज्ञाप

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–1 के प्रस्तर–7 तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–13 के परिशिष्टों में क्रमशः वित्तीय अधिकारों तथा लेखा नियमों के प्रयोजनार्थ उन प्राधिकारियों की सूची दी गयी है, जिन्हें शासन द्वारा विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। राज्य गठन के उपरान्त कतिपय नये विभागाध्यक्ष भी घोषित किये गये हैं। अतः विभागाध्यक्षों की उक्त सूची को अध्यावधिक करते हुए संलग्न संशोधित सूची निर्गत की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव वित्त

संख्या: 166(1)xxvii(7)/2008 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड
2.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
3.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
4.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
5..महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
7.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
8.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
9.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
10.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को 500 प्रतियां प्रकाशनार्थ ।
12..निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
13.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव ।

विभागाध्यों की सूची

क्रमांक	विभाग का नाम एवं पता
1.	सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून
2.	सचिव,श्री राज्यपाल,उत्तराखण्ड देहरादून।
3.	समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तराखण्ड शासन / सचिव,सचिवालय एवं सामान्य प्रशासन,उत्तराखण्ड ।
4.	महानिबन्धक,मा0 उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
5.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
6.	मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
7.	आयुक्त,कर, उत्तराखण्ड, देहरादून / महानिरीक्षक,स्टाम्प एवं पंजीकरण, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
8.	अपर निदेशक,राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
9.	रजिस्ट्रार,फर्म्स,सोसाइटी एवं चिट्स, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
10.	निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें,सह स्टेट इन्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
11.	निदेशक,लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
12.	आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
13.	अध्यक्ष,लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड,हरिद्वार ।
14.	निदेशक,खेलकूद निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
15.	निदेशक,कला एवं संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
16.	निदेशक,कृषि, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
17.	आयुक्त,ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड,पौडी ।
18.	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून ।
19.	मुख्य अभियन्ता स्तर–1,लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
20.	निदेशक,राजकीय मुद्रणालय,रूड़की उत्तराखण्ड,हरिद्वार ।
21.	खाद्य आयुक्त, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
22.	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
23.	निदेशक,पशुपालन, उत्तराखण्ड,गोपेश्वर ।
24.	निदेशक,प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय,उत्तराखण्ड,हल्द्वानी, नैनीताल
25.	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
26.	निदेशक,समाज कल्याण,कालाढूंगी रोड़,हल्द्वानी ।
27.	निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,देहरादून।

28.	निदेशक,उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
29.	निदेशक,रेशम निदेशालय, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
30.	विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी,नैनीताल।
31.	निदेशक,पंचायत राज, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
32.	निदेशक,युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षा दल, उत्तराखण्ड,देहरादून।
33.	निबन्धक,सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड देहरादून ।
34.	अध्यक्ष, न्यायाधिकरण सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड,देहरादून ।
35.	गन्ना आयुक्त, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
36.	महानिरीक्षक,कारागार, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
37.	निदेशक,अभियोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
38.	निदेशक,सतर्कता निदेशालय, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
39.	पुलिस महानिदेशक,पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
40.	महादेष्टा,होमगार्ड्स एंव नागरिक सुरक्षा निदेशालय,उत्तराखण्ड, देहरादून
41.	महानिदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
42.	निदेशक,आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
43	निदेशक,होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
44	निदेशक,शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
45.	निदेशक,नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
46.	निदेशक,अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
47.	सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
48.	आयुक्त,राज्य निर्वाचन आयोग(पंचायत एवं स्थानीय निकाय), उत्तराखण्ड,देहरादून ।
49.	कार्यपालक अध्यक्ष,राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
50.	अध्यक्ष,लोक सेवा अधिकरण, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
51.	अध्यक्ष,राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
52.	निदेशक,पर्यटन निदेशालय, उत्तराखण्ड ,देहरादून ।
53.	अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
54.	निदेशक,आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
55.	अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
56.	निदेशक,बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड,देहरादून ।

57.	निदेशक,मत्स्य,मत्स्य निदेशालय, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
58.	निदेशक,विद्यालय शिक्षा, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
59.	निदेशक,उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड,हल्द्वानी,नैनीताल।
60.	श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड,हल्द्वानी नैनीताल ।
61.	सचिव,राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून एंव निदेशक,राज्य वित्त आयोग,नि‍देशालय ।
62.	अध्यक्ष,अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
63.	सचिव,अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
64.	लोकायुक्त, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
65.	अधिशासी अधिकारी/निदेशक सूचना, सूचना एंव लोक सम्पर्क, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
66.	निदेशक,सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून
67.	अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
68.	निदेशक,डेयरी विकास, उत्तराखण्ड,हल्द्वानी,नैनीताल।
69.	महाधिवक्ता,मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल ।
70.	मुख्य अभियन्ता,ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,देहरादून ।
71.	मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई,देहरादून ।
72.	निदेशक,प्राविधिक शिक्षा,देहरादून ।
73.	निदेशक,स्वतंत्रता संग्राम सैनानी कल्याण संगठन, उत्तराखण्ड ।
74.	नियंत्रक,बाट एंव माप, उत्तराखण्ड ।
75.	राहत आयुक्त, उत्तराखण्ड ।
76.	निदेशक,राष्ट्रीय कैडेट कोर ।
77.	निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी,नैनीताल ।
78.	राज्य सम्पादक,जिला गजेटियर्स ।
79.	निदेशक,जलागम प्रबन्धक परियाजना, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
80.	अध्यक्ष एवं सदस्य, प्रशासकीय प्राधिकरण एवं अध्यक्ष सतर्कता आयोग, उत्तराखण्ड ।
81.	निदेशक,राज्य शिक्षा परिषद, अनुसंधान एंव प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड ।
82.	स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
83.	निदेशक,उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड ।
84.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
85.	आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांऊ मण्डल, नैनीताल ।
86.	पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल मण्डल/ कुमांऊ मण्डल

87.	मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल मण्डल / कुमांऊ मण्डल ।
88.	मुख्य अभियन्ता,स्तर--2,सिंचाई / लोक निर्माण विभाग,गढ़वाल मण्डल / कुमांऊ मण्डल।
89.	निदेशक,अनुसूचित जनजाति कल्याण, देहरादून।
90.	निदेशक,सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान,देहरादून।
91.	निदेशक,उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,नैनीताल।
92.	निदेशक,कर्मचारी राज्य बीमा योजना, देहरादून।
93.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी,भेषज विकास इकाई,उत्तराखण्ड।
94.	महाप्रशासक,उत्तराखण्ड,नैनीताल।
95.	राज्य सम्पत्ति अधिकारी,राज्य सम्पत्ति विभाग,उत्तराखण्ड,देहरादून।
96.	प्रधानाचार्य,राजकीय मेडिकल कॉलेज,श्रीनगर,पौड़ी / एवं अन्य राजकीय मेडिकल कालेज।